भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4463

20 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न

खाद्यान्न खरीद

4463. श्री अरुण कुमार सागर:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का एकसमान खाद्यान्न खरीद नीति बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त नीति से किसानों को कितना लाभ मिलने की संभावना है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): खाद्यान्नों की सरकारी खरीद नीति का व्यापक उद्देश्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित करना और कमज़ोर वर्गों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। यह प्रभावी बाज़ार हस्तक्षेप भी सुनिश्चित करती है जिससे कीमतों पर नियंत्रण बना रहता है और देश की समग्र खाद्य सुरक्षा में भी वृद्धि होती है।

प्रत्येक रबी/खरीफ़ फसल के बुवाई मौसम से पहले, भारत सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर खरीद के लिए एमएसपी की घोषणा करती है, जिसमें अन्य कारकों के साथ-साथ विभिन्न कृषि आदानों की लागत और किसानों को उनकी उपज पर मिलने वाले उचित मार्जिन को भी ध्यान में रखा जाता है।

भारत सरकार की नोडल केंद्रीय एजेंसी, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) अन्य राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर एमएसपी संचालन के तहत गेहूं और धान की खरीद का कार्य करती है। केंद्रीय पूल में मोटे अनाज/श्री अन्न की खरीद केवल राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा विकेंद्रीकृत खरीद प्रणाली के तहत की जाती है।

सरकारी एजेंसियां एमएसपी पर खाद्यान्न खरीदती हैं जो पूरे देश में एक समान है।

(ग): खरीद कार्यों के माध्यम से किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

...2/-

(i) एफसीआई और विभिन्न राज्य एजेंसियां, राज्य सरकारों के परामर्श से, विभिन्न मंडियों और प्रमुख स्थानों पर बड़ी संख्या में खरीद केंद्र स्थापित करती हैं। केंद्रों की संख्या और उनके स्थान का निर्धारण राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न मानदंडों के आधार पर किया जाता है, ताकि एमएसपी प्रचालन को अधिकतम किया जा सके। इस तरह के व्यापक और प्रभावी मूल्य समर्थन कार्यों के परिणामस्वरूप किसानों की आय लंबे समय तक बनी रही है और बेहतर उत्पादकता के लिए कृषि क्षेत्र में अधिक निवेश को आवश्यक प्रोत्साहन मिला है।

(ii) क्रय केंद्रों पर किसानों द्वारा प्रस्तुत भारत सरकार के विनिर्देशों के अनुरूप स्टॉक को सरकारी एजेंसियों द्वारा एमएसपी पर खरीदा जाता है। यदि किसानों को खुले बाजार में समर्थन मूल्य से बेहतर मूल्य मिलता है, तो वे अपनी उपज बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। सरकारी एजेंसियों की उपस्थिति किसानों द्वारा खाद्यान्नों की संकटकालीन बिक्री को रोकना सुनिश्चित करती है।

(iii) एमएसपी प्रचालन के तहत खाद्यान्नों की खरीद अनिवार्य रूप से राज्य खरीद पोर्टलों के माध्यम से की जा रही है, जिससे सरकारी खरीद केंद्रों/मंडियों में अपनी उपज की बिक्री के लिए किसानों के पंजीकरण, भूमि/फसल सत्यापन और एमएसपी का सीधे किसान के बैंक खाते में ऑनलाइन भुगतान की शुरुआत के साथ प्रक्रिया में पर्याप्त पारदर्शिता आई है।

(iv) बेहतर निगरानी, समीक्षा और निर्णय लेने हेतु लगभग वास्तविक समय के आधार पर सूचनाओं का भंडार उपलब्ध कराने हेतु राज्य खरीद पोर्टलों को केंद्रीय खरीद खाद्यान्न पोर्टल (सीएफपीपी) के साथ एकीकृत किया गया है।

(v) आरएमएस 2021-22 से पूरे देश में "डीबीटी के माध्यम से एक राष्ट्र, एक एमएसपी" लागू किया गया है। एमएसपी का भुगतान सीधे किसानों के खाते में सुनिश्चित किया गया है। एमएसपी के डीबीटी से प्रणाली में उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और वास्तविक समय की निगरानी आई है।

(vi) खाद्यान्नों के लिए एमएसपी प्रचालन की पहुँच को व्यापक बनाने के लिए, भारत सरकार ने राज्य खरीद एजेंसियों द्वारा सहकारी समितियों/स्वयं सहायता समूहों/पंचायतों/प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस)/किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को शामिल करने का प्रावधान किया है ताकि अधिकतम किसान मूल्य समर्थन प्रचालन का लाभ उठा सकें।

*****